सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट : विराटनगर, **कैम्प दिनांक 29.06.2018**

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 117/2017 **दायर तारीख :–** 07.12.2017

1. छोटूराम पुत्र नान्छा जाति अहीर निवासी मैड तहसील विराटनगर।

—— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी, सीमांकन

उपस्थित : श्री अशोक कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 29.06.2018

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मैड के खसरा नम्बर 4411/5915/0.09, 4482/0.10, 4490/0.50 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी भूमि है, जिस प्रार्थी काबिज काश्त होकर कृषि कार्य करता है। पडौसी खातेदार आये दिन प्रार्थी की भूमि के डोले काटकर अपनी खातेदारी में मिलाते हैं। पडौसी खातेदारों से परेशान होकर प्रार्थी ने दिनांक 26.06.2016 द्वारा सीमाज्ञान करा लिया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मैड के खसरा नम्बर 4411/5915/0.09, 4482/0.10, 4490/0.50 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी, स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जाने के आदेश फरमावें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थीयागण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 271 संवत् 2070–2073, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2016 आदि पेश किये।
4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम मैड के खसरा नम्बर 4411/5915/0.09, 4482/0.10, 4490/0.50 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम जमाबन्दी संवत् 2070–2072 में दर्ज रिकार्ड है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए अन्य की खातेदारी की सीमाऐं लगती हैं। प्रार्थी का तर्क रहा कि मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थी की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थी ने दिनांक 26.06.2016 को खसरा नम्बर 4482, 4490 का सीमाज्ञान करवाया है, परन्तु पडौसी खातेदारों ने सीमाज्ञान में स्थापित सीमाचिन्हों को नष्ट कर दिया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वर्णित भूमि वाके ग्राम मैड के खसरा नम्बर 4482/0.10, 4490/0.50 हैक्टेयर जिसका तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू॰अ॰/2016/2222 दिनांक 16.06.2016 से सीमांकन किया गया है की पत्थरगढी, सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 29.06.2018 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर